संख्या – 409/V–2013–90(आ0)/2002

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 21 मार्च, 2013

विषयः डिस्पेंसरी रोड, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत रोड, विस्तारीकरण योजना से प्रभावित व्यापारियों के विस्थापन की नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3285, दिनांक 06 फरवरी, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डिस्पेंसरी रोड के दोनों ओर स्थित सम्पत्तियों के मध्य सड़क की चौड़ाई लगभग 7.37 मीटर है, जिसे लगभग 13.59 मीटर तक विस्तारित किये जाने एवं इससे प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया डिस्पेंसरी रोड, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत रोड, विस्तारीकरण योजना से प्रभावित व्यापारियों के विस्थापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

(i) दर्शनलाल चौक के बांयी दिशा में क्वालिटी स्टेशनरी से भगवानदास शू–मेकर तक 69 व्यवसायियों द्वारा 81 दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इस श्रेणी के प्रभावितों के पास नगर पालिका, देहरादून (वर्तमान में नगर निगम, देहरादून) से निर्गत स्टाल आवंटन का प्रमाण पत्र उपलब्ध है। इनमें से 66 व्यवसायियों को प्राधिकरण के नवनिर्मित व्यवसायिक व पार्किंग परिसर में भूतल पर 10 वर्गमीटर की दुकानें आवंटित की जायेंगी तथा शेष को भूतल एवं प्रथम तल पर व्यवसायिक हितों में होने वाली भिन्नता के दृष्टिगत प्रथम तल पर अधिक आकार अर्थात 14 वर्गमीटर की दुकानें आवंटित की जायेंगी। इस प्रकिया के अन्तर्गत जिन व्यवसायियों की वर्तमान में 02 दुकानें हों, उन्हें 01 दुकान भूतल पर तथा दूसरी दुकान प्रथम तल पर आवंटित किया जायेगा। भूतल पर दुकान आबंटन तथा दुकान का कम निर्धारण लाटरी पद्धति से किया जायेगा।

(2) तहसील कार्यालय परिसर तथा प्राधिकरण के नवनिर्मित व्यवसायिक व पार्किंग

Secretary / Property Officer

23/03/13

Sri Pandeyji
M.U. Offi.
N.A.Pp.
23/3/13
CR-1

D:\Awas-Section- 2\Land use\Land-use-letter-october-2011.doc

Dehradun

Scanned by CamScanner

परिसर के मध्य स्थित 13 व्यवसायियों के द्वारा 18 दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इस श्रेणी के दुकानदारों के पास दुकानों के संचालन/स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इन व्यवसायियों को नवनिर्मित काम्पलैक्स के प्रथम तल पर 10 वर्गमीटर की दुकानों का आवंटन करते हुए दुकान कम निर्धारण लाटरी पद्धति से किया जायेगा।

(3) एक मात्र आवासीय परिसर को आई0एस0बी0टी0 के समीप चकराता रोड के निवासियों के पुनर्वास हेतु निर्मित आवासीय योजना में एक आवास देकर पुनर्वासित किया जायेगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा विस्थापितों से दुकान के बदले दुकान दिए जाने के लिए कोई मूल्य नहीं लिया जायेगा, किन्तु दुकान द्वारा घृत क्षेत्रफल को दुकानदारों के पक्ष में फ्री–होल्ड करने हेतु शुल्क का निर्धारण उत्तराखण्ड नजूल नीति–2009 (संशोधित) में नजूल भूमि फ्री–होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में दी ग़यी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। व्यवसायियों से इस प्रकार प्राप्त होने वाली फ्री–होल्ड की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी। इसके अतिरिक्त फ्रीहोल्ड की प्रक्रिया अन्तर्गत अन्य देय स्टाम्प/ शुल्क, यदि कोई हो, भी विस्थापितों द्वारा वहन किया जायेगा।

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि शासनादेश सं0–969/श0वि0–आ0–02–90(आ0)/02 दि0 23–10–2002 द्वारा प्राधिकरण को डिस्पेंसरी रोड पर स्थित पशु चिकित्सालय की भूमि (क्षेत्रफल 4554.55 वर्गमी0) हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है और उक्त भूमि के सापेक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा पशुपालन विभाग को सहारनपुर रोड, मौजा सेवला खुर्द में ट्रांसपोर्टनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत 6064.54 वर्गमी0 की भूमि का कब्जा दिनांक 24–2–2012 को प्रदान कर दिया है। अतः डिस्पेंसरी रोड स्थित भूमि रकबा 4554.55 वर्गमी0 प्राधिकरण को निःशुल्क स्थानान्तरित की जाती है।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

संख्या– — /V/आ0–2013–तददिनांक।

प्रतिलिपि सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।

D:\Awas-Section- 2\Land use\Land-use-letter-october-2011.doc

257

Scanned by CamScanner